



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2812/2026

आकाश विश्वकर्मा और अन्य

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक अधिवक्ता

:

अमित कुमार पांडे, राहुल यादव

प्रतिवादी अधिवक्ता

:

जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. लिस्ट में बदलाव किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री राहुल यादव और राज्य के अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री को देखा।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 0523 वर्ष 2025, धारा 352, 103, 333, 3(5) बीएनएस, थाना कप्तानगंज, जिला कुशीनगर में मुकदमा लंबित रहने के दौरान जमानत चाहते हैं।
4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, आवेदक ने सह-अभियुक्त लोगों सुमंत @ पार्ले और खूबलाल के साथ मिलकर 12.11.2025 को रात करीब 8.00 बजे मरे हुए आदमी को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक बिल्कुल बेगुनाह हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी में लगभग बीस घंटे की देरी हुई है और इस देरी का कोई कारण नहीं बताया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि प्राथमिकी में आम और हर तरह के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन बाद में, चश्मदीद गवाह सूरज, अनीता देवी और राम अयोध्या ने उनकी भूमिकाओं में फ़र्क किया है। उन्होंने साफ़ तौर पर कहा है कि मृतक पर सिर्फ़ सुमंत @ पार्ले ने हमला किया था। बताया गया है कि दूसरे लोग उसके साथ थे, इसलिए, आवेदक की भूमिका सुमंत @ पार्ले से अलग है। आवेदक की कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 15.11.2025 से जेल में बंद हैं और वे मुक़दमे में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे जमानत की आज़ादी का ग़लत इस्तेमाल नहीं करेंगे।

7. विद्वान ए.जी.ए. ने ज़मानत अर्ज़ी का पुरज़ोर विरोध किया है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पार्टियों के अधिवक्ताओं की दलीलें, रिकॉर्ड में मौजूद सबूत, तीन चश्मदीद गवाहों ने आवेदक की भूमिका को अलग किया है और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, पहली नज़र में, न्यायालय का मानना है कि आवेदक ने ज़मानत के लिए मामला बनाया है। ज़मानत अर्ज़ी मंज़ूर की जाती है।।

9. आवेदक- आकाश विश्वकर्मा और राघवेंद्र @ रेगई, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल हैं, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो ज़मानतदार देने पर इन शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों को सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक जमानत के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक सरकारी गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराया-धमकाएगा।

(iii) आवेदक तय तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा।

10. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

11. यह साफ़ किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई बातें, गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी अलग राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश पर किसी भी तरह से असर नहीं डालेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



28 जनवरी, 2026

शालिनी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।